राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6)विभाग

क्रमांकः– प, 6(24) राज.6/01/46

जयपुर, दिनांकः– 9/4/19

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप–नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित भूमियों को राजस्व (ख) विभाग की आज्ञा ब्रमांक प.2 (168) राज/ख/ग्रुप–3/71 से लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.09.18 द्वारा ग्राम कलावा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा नं. 5 किस्म गैर मुमकिन खार क्षेत्रफल 215 बीघा 2 बिस्वा में से 192 बीघा 7 बिस्वा भूमि लवणीय क्षेत्र से वापस अलवणीय घोषित की गई थी, के स्थान पर संशोधन करते हुए ग्राम कलावा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा नं. 8 किस्म गैर मुमकिन खार क्षेत्रफल 1519 बीघा 9 बिस्वा में से 192 बीघा 7 बिस्वा भूमि को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती है।

इसके अतिरिक्त निम्न अनुसूची में वर्णित भूमियों को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती हैः–

–: अनुसूची :–

ग्राम का नाम	तहसील	जिला	खसरा नं.	किस्म	क्षेत्रफल	लवणीय क्षेत्र से वापिस लिये जाने वाला क्षेत्रफल
आकडली बस्सीराम	पचपदरा	बाडमेर	93/100	बारानी सोयम	26 बीघा 4 बिस्वा	2 बीघा
आकडली बस्सीराम	पचपदरा	बाडमेर	93/98	बारानी सोयम	66 बीघा 4 बिस्वा	5 बीघा 19 बिस्वा
कलावा	पचपदरा	बाडमेर	8	गै.मु. खार	1519 बीघा 9 बिस्वा	3 बीघा
कुल रकबा						10 बीघा 19 बिस्वा

राज्यपाल की आज्ञा से,
09.4.19
(कमलेख आबुसरिया)

dsrevenue6@gmail.com

2128

Scanned by CamScanner